समक्षः न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष **महोदय** सर्किट कैम्प भोपाल

R-3563-PBR/14

1. बलराम उम्र 60 वर्ष
2. जिराती उम्र 65 वर्ष

दोनो पिता रंजी गोंड निवासी भौंरा तह. शाहपुर जिला बैतूल म.प्र.

--पुनर्विलोकनकर्ता गण

बनाम

1 आशा उम्र 28 वर्ष
2. ऊषा उम्र .....वर्ष

दोनो पिता रंजी गोंड निवासी भौंरा तह. शाहपुर जिला बैतूल म.प्र.

--उत्तरकर्तागण

श्री प्रेमसिंह अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 13-10-14 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत।
13/10/14

17-10-14

<u>आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. के तहत</u>

<u>सविनय प्रस्तुत हैः-</u>

यह कि पुनरीक्षणकर्ता ग्राम भौंरा तह. शाहपुर जिला बैतूल के स्थाई निवासी है।

यह कि पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध एक अपील मान. अनुविभागीय अधिकारी महोदय शाहपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

यह कि उक्त अपील परिसीमा अधिनिय के बाहर प्रस्तुत की गई जिसमें मा. न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन आदेश दि. 27/08/14 में पारित आदेश के द्वारा स्वीकार किया गया हैं, इस आदेश सें दुखित होकर उक्त पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

<u>प्रकरण के तथ्य</u>

यह कि मौजा भौंरा उर्फ ढोहरामोहार प.ह.नं. 13 के ख.नं. 181/2 के रकबा 0. 284 हे. कृषि भूमि रंजी वल्द. दामजी गोंड के नाम सें राजस्व रिकार्ड मे दर्ज रही हैं, मूल स्वामी की मृत्यु के उपरान्त जन समस्या निवारण सिविर दि. 30.05. 1997 को ग्राम पंचायत भौंरा में नामतंरण किया गया हैं, चूंकि उत्तरकर्तागण के पिता शंकर की मृत्यु के उपरांत उसकी पत्नि एवं दोनो पुत्रीया (उत्तरकर्ता गण) के जीवन यापन शादी विवाह आदि की व्यवस्था पुनरीक्षणकर्ता कर्ता गण द्वारा कि गई एवं शंकर एवं उसकी पत्नि का अंतिम कार्यक्रम, तेरव्ही आदि का कार्यक्रम पुनरीक्षणकर्ता द्वारा किया गया उक्त नामातंरण के समय उक्त नामांतरण को

R 3563-PBR/14 मैंनुल

28.4.2016	आवेदकगण की ओर से श्री प्रेम सिंह अभिभाषक एवं अनावेदकगण की ओर से श्री पंकज मालिक अभिभाषक उपस्थित। आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रकरण नहीं चलाने का अनुरोध किया गया। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रकरण नहीं चलाने के कारण समाप्त किया जाता है।	28/4/16 31/3/16 आशा आशा बाई व अन्य 28/4/16 28/4/16
	अध्यक्ष	

शासकीय मुद्रणालय — फॉर्म — 21-9-2012 — 10,000.